अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप एक चिन्तन

डा0 रमा सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान विभाग
आर्य कन्या डिग्री कालेज, इलाहाबाद

हस्तक्षेप शब्द का प्रयोग जीवन में आम बात है साधारण अर्थों में हस्तक्षेप एक दूसरे को रोकने के लिए किया जाता है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इस शब्द के गंभीर मायने होते है। अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र मे हस्तक्षेप का अर्थ है कि एक देश द्वारा दूसरे देश के कार्य सीमा का विरोध करना जो प्रायः सशस्त्र होता है और अवैध माना जाएगा। हस्तक्षेप शब्द की अलग–अलग विचारकों ने अपनी तरह से व्यख्या की है। इस सन्दर्भ में हॉल कहता है कभी कोई देश सशस्त्र किसी देश आन्तरिक संप्रभुता मे सेंधमारी करता है तो इसे हस्तक्षेप कहा जाएगा। कोई भी देश अपनी सीमा या सम्प्रभुता पर दूसरे देश के प्रभाव को स्वीकार नही कर सकता क्योंकि किसी भी देश को अपने आन्तरिक मामलों में निर्णय लेने एवं बाह्य सुरक्षा मामलें तय करने का अधिकार है। अतः यदि किसी दूसरे देश द्वारा या सेना के द्वारा या अधिनायकवादी नीति के द्वारा हस्तक्षेप किया जाता है तो वह अवैध हस्तक्षेप माना जायेगा एवं उसे स्वीकार नहीं किया जायेगा।

ओपेन हाईम ने कहा किसी देश की सीमा में तानाशाही या अधिनायकवादी हस्तक्षेप अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की श्रेणी में आता है। और उसे उस देश के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि किसी भी देश को अपने आन्तरिक मामलें में वाह्य मामलें में अपनी सुरक्षा करने का अधिकार है। इसलिए किसी दूसरे देश के द्वारा या अधिनायक नीति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो वह अन्तर्राष्ट्रीय हस्क्षेप माना जाएगा और उन देशों के द्वारा स्वीकार नहीं किया जा सकता। इसी तरह से और भी विचारक है जिनके अपने दृष्टिकोण है कि यदि किसी भी देश की सीमा में हस्तक्षेप किया जा सकता है तो स्वीकार नहीं किया जा सकता कैलसन नामक विचारक ने कहा कि किसी भी हस्तक्षेप जिसमे अन्तर्राष्ट्रीय कानून मनाही करता हो और उसके बावजूद भी किया जाए तो वह अन्तर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप माना जाएगा। अन्तर्राष्ट्रीय कानून अगर कहता है कि एक देश अपनी स्वतंत्रता को बरकरार रखते हुए अपनी बराबरी के स्तर पर दूसरे देश से संबंध रखता है और दूसरे देश को प्रभावित करता है तो वह हस्तक्षेप है। हस्तक्षेप बहुत से उदाहरण देने के पहले भारत के ही संबंध में कि जिस वक्त भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ ताशकंद के समझौते के अनुसार निश्चित हुआ भारत अपनी सीमा में रहेगा और पाकिस्तान अपनी सीमा पर करेगा।

हस्तक्षेप के बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते है। जैसे जब 1965 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, युद्ध के पश्चात ताशकन्द समझौते के बाद यह तय किया गया कि भारत अपनी सीमा में रहेगा ओर पाकिस्तान अपनी सीमा में रहेगा, और यह सीमा होगी युद्ध के पश्चात दोनों देशों के द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र। भारत पाकिस्तान द्वारा अधिग्रहीत कश्मीर को

पाकिस्तान का हिस्सा मांगने को तैयार नही है और अमेरिका द्वारा यह निर्णय दिया जाना भारत की सीमा में हस्तक्षेप है। किसी भी तरह का दबाव भारत सहन नहीं करेगां। पाकिस्तान भारत के उत्तर और दक्षिण दो हिस्सों में आजाद हुआ था एकतरफ बांग्लादेश पूर्व मे और पाकिस्तान पश्चिम क्षेत्र मे था जो सम्पूर्ण पाकिस्तान कहलाता था। पाकिस्तान द्वारा पूर्वी क्षेत्र बांग्लादेश में मानवीय हितों का उल्लंघन इस हद तक किया जा रहा था कि मानवता शर्मसार होने लगी वहां की जनता में लूटपाट करना बच्चों एवं विशेषकर महिलाओं से बालात्कार करना की सैनिकों की आदत सी बन गयी थी और इस कारण से बांग्लादेशी पलायन कर भारत की सीमा में घुसने लगे। भारत ने इसका विरोध किया कि इतने विदेशी नागरिक हमारे यहां किस आधार पर आ रहे हैं। भारत ने इसे अपनी सीमा मे पाकिस्तान का हस्तक्षेप माना और भारत ने बांग्लादेशी लोगों की इस आधार पर मदद की वे बर्बरता के खिलाफ लड़े और अपने देश मे रहे। पाकिस्तान ने इसे अपनी सीमा मे हस्तक्षेप मानते हुए आक्रमण किया जिसे दुनिया ने स्वीकार नही किया क्योंकि भारत ने अपने देश की सुरक्षा और बांग्लादेशी मानवीयता के आधार पर यह हस्तक्षेप किया था जो वैध था।

अब प्रश्न यह उठता है कि अनाधिकृत अथवा अवैध हस्तक्षेप क्या है? उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में चाइना और अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ दिया और उनकी सेनाएं हिन्द महासागर की सीमाओं पर आने लगी यह भारत के मामले अनाधिकृत हस्तक्षेप था। हस्तक्षेप कई तरह के होते हैं। 1. आन्तरिक हस्तक्षेप – 1935 में स्पेन के घरेलू युद्ध में जर्मनी के द्वारा हस्तक्षेप किया गया और 1956 में सोवियत संघ ने हंगरी के मामले में हस्तक्षेप किया था सोवियत संघ ने एक पक्ष का समर्थन करते हुए हंगरी का विरोध किया था। अमेरिका ने और कहा कि किसी भी देश के आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप है जो नहीं किया जाना चाहिए। 2. बाह्य मामलों का हस्तक्षेप – इस सन्दर्भ में यह कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैण्ड, फ्रांस और जर्मनी युद्धरत थे इसमे इटली ने जर्मनी के साथ मिलकर युद्ध करना चाहा और फ्रांस और ब्रिटेन पर आक्रमण किया यह बाह्य हस्तक्षेप है इसके साथ ही वह द्वितीय युद्ध इतना विस्तारित हुआ कि इंग्लैण्ड और फ्रांस की ओर से छोटे छोटे देश युद्ध में आए और उन देशों ने फ्रांस के साथ जर्मनी पर आक्रमण किया यह जर्मनी के मामले मे बाह्य हस्तक्षेप है। जब भी कभी देश की सीमाओं पर हस्तक्षेप होता है तो वह बाह्य हस्तक्षेप कहलाता है। एक अन्य तरह का हस्तक्षेप होता है दण्ड देने वाला हस्तक्षेप – इसमें किसी देश की नाकेबन्दी की जाती है जैसे 1962 में क्यूबा के बन्दरगाहों की अमेरिका ने इसलिए नाकेबन्दी कर दीं थी क्योंकि सोवियत रूस क्यूबा की मदद कर रहा था और क्यूबा उसकी तरफ होकर साम्यवाद का विस्तार कर सकता था इसलिए क्यूबा की नाकेबन्दी कर दी गयी जिससे सोवियत रूस से अस्त्र शस्त्र क्यूबा तक न पहुंच पाए। इसी तरह का एक और उदाहरण है भारत के सन्दर्भों में। जब प्रधानमन्त्री माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेई जी के कार्यकाल में भारत मे ऍटमिक

शक्ति प्राप्त की गई अणु बम का विस्फोट उस समय अमेरिका जैसे बड़े देशों ने भारत के आर्थिक विकास को अवरूद्ध करने का प्रयास किया उन्होने भारत से आर्थिक सम्बन्ध खत्म करने की बात कही वह एक नाकेबन्दी थी भारत उस समय निश्चिन्त था कि हम अपने देश में औद्योगिक उत्पादन बढ़ाकर इस क्षति को पूरा कर लेंगें। और अन्त में भारत की पहली छमाही में ही जीडीपी दर बढ़ गयीं। अमेरिका को लगा कि भारत को इस तरह से रोका नहीं जा सकता है बल्कि भारत और आगे मजबूत होकर उभरेगा। कूटनीतिक हस्तक्षेप – चीन के समुद्री तट पर कई छोटे–छोटे द्वीप उभर कर आये जिन्हें वो अपने देश मे मिलाना चाहता था। सबसे पहले आगे बढ़कर उसने उन दीपों को अपने देश के झण्डे के साथ जोड़ लिया दुनिया के देशों ने उसे स्वीकार किया। यह कूटनीतिक हस्तक्षेप है जो वैध है। 5. कुछ हस्तक्षेप सामूहिक होता है संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्य देशो के लिए कुछ शर्तें है कि वह महासभा की शर्तों का उल्लंघन करते है तो सुरक्षा परिषद् उन पर सामूहिक आक्रमण करेगा। यह सामूहिक हस्तक्षेप वैध है क्योंकि वह संयुक्त राष्ट्र संघ की नियमावली के अनुसार है। लेकिन वही सामूहिक हस्तक्षेप जब द्वितीय विश्वयुद्ध के समय था तो उसे वैध नहीं कहा जा सकता क्योकि वह युद्ध क्षेत्र की स्थिति थी।

ओपेन हाईम के अनुसार वैध हस्तक्षेप कई प्रकार के हो सकते हैं यदि कोई राष्ट्र अपने रक्षा के लिए हस्तक्षेप करता है तो यह वैध होगा। यदि कोई अन्तर्राष्ट्रीय सन्धि की गई हो युद्ध अथवा शान्ति के समय और उसका पालन न किया जा रहा हो तो उनमे से कोई भी देश अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सन्धि के उल्लघंन की बात कह कर उस सन्धि से खुद को अलग कर सकता है। शर्तों का पालन न हो तब भी दूसरे देश द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है कभी कभी एक देश ने दूसरे देश कों गारन्टी देता है कि वह उसकी आन्तिरक मामले में हस्तक्षेप न करते हुए भी अर्थव्यवस्था एवम् मानवीय हितों को समुन्नत करने के लिए कार्य करेगा लेकिन यदि वहां के लोगों के हितों की रक्षा नहीं हो रही है तो भी पहला देश दूसरे देश के मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। यदि तीसरा देश दो संघर्षरत देशों के मध्य समझौता करवाना चाहे दोनों देश उसे स्वीकृति प्रदान करे तो यह वैध हस्तक्षेप होगा। भारत और पाकिस्तान के कश्मीर के मुद्दे पर अमेरिका बार–बार मध्यस्थता करने की अपील करता रहा और जनमत संग्रह को आधार बना कर दोनों देश विवादों को हल करना चाहता था। भारत ने इसका विरोध किया यदि अमेरिका फिर भी हस्तक्षेप करता तो यह अवैध हस्तक्षेप होता। इसी तरह चायना और सोवियत रूस अफगानिस्तान मे साम्यवाद की स्थापना करना चाहते थे अमेरिका ने कहा यदि ऐसा होता है वह सशस्त्र हस्तक्षेप करेगा दोनों देश इसका विरोध नहीं कर सके और उन्हे पीछे हटना पड़ा इस तरह के हस्तक्षेप विश्व शक्ति सन्तुलन की आवश्यकता पर किये जाते है। जिन्हें कभी वैध कभी अवैध कहा जाता है।

वैध हस्तक्षेप के लिए मानवीयता सबसे बड़ा आधार हैं। बांग्लादेश में भारत ने मानवीय आधारों पर हस्तक्षेप किया था। कभी–कभी कुछ ऐसे विषय आते है जैसे चेकोस्लोवाकिया का

मुद्दा था जिसमें साम्यवादी देश के होने के बाद भी वहां के शासक गणतन्त्र लाना चाहते था लोगो ने विरोध किया और गणतन्त्र जीता और गणराज्यी सरकार बनी लेकिन चेकोस्लोवाकिया में रूसी सेना घुस गयी और उसने चेको सरकार के पूर्व सरकार का समर्थन करते हुए हस्तक्षेप किया जिसे अमेरिका द्वारा बीटोपॉवर का प्रयोग करके अमान्य किया गया। अपने एवं अपने सीमावर्ती क्षेत्रों में प्रजातन्त्र को रक्षा के लिए हस्तक्षेप किया जा सकता है जो वैध होगा। राष्ट्रपति मुनरो ने हस्तक्षेप के लिए एक नया सिद्धान्त ही बना डाला कि अमेरिका पर कोई देश नियंत्रण नही कर सकता यदि ऐसा होता है तो वह युद्ध करेगा। क्योकि यूरोपियन सर्वश्रेष्ठ होते है। यद्यपि की अमेरिका ने समय समय पर अन्य देशों की व्यवस्था में हस्तक्षेप किया जैसे द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद जब जर्मनी और कोरिया को सोवियत दो भागो में विभाजित करना चाहता था, अमेरिका ने इसका विरोध किया यद्यपि कि वो सफल नहीं रहा और शीतयुद्ध की शुरूआत हुई। एक लम्बे अन्तराल के बाद समयचक्र की गति ने पूर्वी और पश्चिमी जमैनी को एक कर दिया लेकिन आज भी उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया एक–दूसरे के दुश्मन बने हुए।

शक्ति संतुलन के लिए जब कभी हस्तक्षेप किया जाता है तो विश्व के अन्य देश भी उसे स्वीकार करते है। नाटो–सीटो–वार्सा पैक्ट के द्वारा सामूहिक सुरक्षा और सामूहिक हस्तक्षेप साम्राज्यवाद को खत्म करने के लिए किये गये जो तनाव का कारण हो सकते है लेकिन अवैध नहीं। हस्तक्षेप कब वैध होगा, इस सन्दर्भ में कहा जा सकता है कि आत्मरक्षा मुख्य आधार है। संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 51 में इसका उल्लेख है। किरूल नामक जहाज जो अमेरिका से इंग्लैण्ड की सीमा में घुस गया, इंग्लैण्ड ने उसे नष्ट कर दिया। अमेरिका के विरोध पर इंग्लैण्ड ने स्पष्ट किया कि इस जहाज से अन्य देशों को नुकसान होने वाला था, इसे नष्ट करना वैध था, यद्यपि इस कृत्य के लिए इंग्लैण्ड ने अमेरिका से क्षमा मांगी। जब कभी बदला लेने के लिए हस्तक्षेप किया जाता हे वो वैध नहीं हो सकता। जबकि जनहित में किया गया हस्तक्षेप वैध है। वर्तमान में यदि कहीं जनतंत्रीय शासन प्रभावित हो रहा हो, तो हस्तक्षेप को आवश्यक माना गया है। आज आतंकी गतिविधियों को रोकने के लिए हस्तक्षेप वैध है। अमेरिका और भारत ने सीरिया और पाकिस्तान जैसे देशो को स्पष्ट किया है कि यदि वे आतंकी गतिविधियों को नहीं रोकते तो उन पर सशक्त आक्रमण होगा। भारत और अमेरिका दोनो हीं इस गतिविधि के शिकार है। 2001 में यूनाइटेड टावर पर हुए आतंकी हमले के पश्चात् अमेरिका ने अफगानिस्तान में घुसकर प्रहार किया था और पाकिस्तान की आर्थिक सहयोग पर प्रतिबंध लगाया था, वहीं भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर आतंकी ठिकानों को नष्ट किया तो किसी देश ने इसका विरोध नहीं किया। आज बदली परिस्थितियों में हस्तक्षेप के मायने अलग गढे जा रहें है। सर्वे भवन्तु सुखिनः या वसुधैव कुटुम्बकम की भारत की संस्कृति को विश्व अपना लें तो कोई देश किसी देश की सीमा अथवा नीति में हस्तक्षेप नहीं करेगा। यदि मानवता की रक्षा के लिए हस्तक्षेप होगा तो वह वैध होगा।